228

क्रम संख्या–242

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 01 अक्टूबर, 2013 ई0

आश्विन 09, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 348/XXXVI(3)/2013/65(1)/2013

देहरादून, 01 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013" पर दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 31 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

"उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2013"

(उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 31 वर्ष, 2013)

उत्तराखण्ड़ कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए भारत गणराज्य के 64वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : –

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्ड़ी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2013" होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 61 में प्रतिस्थापन 2– मूल अधिनियम, 2011" की धारा 61(2)(दस) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् : –

"धारा 61(2)(दस) – इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने या विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिए कोई अन्य प्रयोजन;

परन्तु यह कि मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों, गलियों के निर्माण एवं अनुरक्षण में इस निधि का अधिकतम 50प्रतिशत ही व्यय किया जाएगा।"

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट
प्रमुख सचिव।